Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
A.B.P.No. 741/2026 & A.B.P. 796/2026, Muffasil P.S. Case No.- 173/2026
Mahesh Sharma and others VS. State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No. 741/2026

Muffasil P.S. Case No.- 173/2026

1 महेश शर्मा पिता दिनेश शर्मा, उ0त0 35 वर्ष,
निवासी साकिन– मधेपुरा, थाना– मुफ्फसिल,
जिला– कटिहार। ....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार। ....अभियोजन।
अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीः .... राजीव कुमार गुप्ता।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A.B.P.No. 796/2026
Muffasil P.S. Case No.- 173/2026

2 फुलो देवी पति श्री चन्द्रलाल मुंडा, उ0त0 40 वर्ष,
3 गुलटेन मुंडा पति सुधन मुंडा, उ0त0 40 वर्ष,
4 कुंदन मुंडा उर्फ कुन्दन कुमार मुंडा, पिता स्व0 कापुर चन्द्र मुंडा, उ0त0 25 वर्ष,
5 रवि मुंडा पिता श्री दिनेश मुंडा, उ0त0 28 वर्ष,
6 रोहित मुंडा उर्फ रोहित कुमार मंडल, पिता श्री दिनेश मुंडा, उ0त0 23 वर्ष,
निवासी साकिन– मधेपुरा, थाना– मुफ्फसिल कटिहार,
जिला– कटिहार। ....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार। ....अभियोजन।
अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री :..................................उमाशंकर सिंह।
उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांकः 03.08.2026 आदेश

1 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन क्रमशः दिनांक 21.05.2026 तथा 30.05.2026 को आवेदकगण की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार गुप्ता तथा श्री उमाशंकर सिंह द्वारा दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है। दोनों अग्रिम जमानत आवेदन एक ही थाना कांड संख्या से संबंधित है, अतः एकसाथ सुनवाई कर एक ही साथ आदेश पारित किया जा रहा है।

2 अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचिका कृति कुमारी प्र0पु0अ0नि0 मुफ्फसिल थाना कटिहार ने थानाध्यक्ष मुफ्फसिल थाना कटिहार को एक टंकित आवेदन देते हुए कथन किया है कि दिनांक 09.05.

webvyapaar

2026 को समय करीब 17:00 बजे सशस्त्र बल के साथ संध्या गस्ती में थी उसी समय गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति मधेपुरा ग्रामीण रोड पर नशे की हालत में हो हंगामा कर रहा है । सूचना के सत्यापन में जब बताये जगह पर पहुंची तो देखा कि एक व्यक्ति पुलिस गाड़ी को देकर अना सनाप बोलते हुए भागने का प्रयास किया। जिसे बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुरज कुमार मुंडा बताया। ....

3

4 संध्या में ट्रक नं0 WB57N1210 से मेरे अलावा मो0 तबारक, मो0 हालिम, मो0 बाबर खान, इस्तार आलम, तफजुल एवं अन्य कुल 21 व्यक्ति का दुकान का कबाड़ी का समान जिसका कीमत करीब पचास लाख का समान ट्रक पर लादकर लेल्हा चौक से पश्चिम बंगाल के लिए लेकर जा रहा है, जिसमें ट्रक ड्राईवर सब्बीर अहमेदा पिता होचेन शेख साकिन सल्लाड़ा ट्रक मालिक मो0 सैफुल मालिक पिता अशर मालिक साकिन मिर्जापुर दोनों थाना बेलडंगा जिला मुर्शीदाबाद थे। कुछ ही दूर जाने पर पहले से ही घात लगाये चार चक्का वाहन से लगभग 15–20 व्यक्ति थे जो ट्रक को घेर लिया अेर चार–चार चक्का वाहन से अपने–अपने हाथ में लोहे का राड, चाकू एवं घातक हथियार से ट्रक ड्राईर एवं मालिक के गर्दन पर धारदार हथियार सटाकर मारपीट करते हुए सभी सामान लूट लिया। लूटपाट करने के बाद किसी तरह ट्रक ड्राईवर ट्रक को लेकर अपनी जान बचाने के नियत से उन्हीं चारो गाड़ी में से एक गाड़ी चार चक्का गाड़ी जिसका रजि नं0 BR11BG-5707 को ठोकर मारते हुए गाड़ी लेल्हा चौक आया और मुझे एवं अन्य दुकानदारों के सारी बात बताये तो हम सभी दुकानदार मिलकर पता लगाने लगे तो पता चला कि चार चक्का गाड़ी नं0 BR11BG-5707 के मालिक मुबारक है और पता चला कि लूटपाट करने में मो0 जाहीर, फकरूद्दीन एवं अन्य 15 व्यक्ति हैं। फिर हम सभी दुकानदार मिलकर हथिया दियारा गांव में खोजबीन किया तो चार चक्का गाड़ी नं. BR11BG-5707 मुबारक के दरवाजा पर लगा और घीसा हुआ पाया जिसको देखते ही ट्रक ड्राईवर और मालिक पहचान गया उसके बाद सभी दुकानदार मिलकर चार चक्का गाड़ी नं0 BR11BG-5707 को लाकर दुकान के पास लगा दिया, उसके बाद सरपंच साहब फकरूददीन के द्वारा बोला गया कि समान लुटपाट हुआ तो मिलेगा हमसब मिलकर पंचायत कर देंगे दिन पर दिन बीतता गया, फिर सभी दुकानदार मिलकर सरपंच साहब को बोले कि जो हमलोगों के सामान लूटपाट हुआ है। वे समान वापस कर दो फिर हम चार चक्का गाड़ी दे देंगे। इतने में सभी परिवार उग्र हो गये। हम सभी को गाली गलौज करते हुए धमकी देते हुए बोला कि सरपंच के पावर नहीं जानता है, तुमलोग को उलटा फंसा देंगे। हमको कौन नहीं जानता है। सरपंच के द्वारा पंचायती के बहाना करने के कारण आवेदन देने में देर हुआ है।

5 अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता मो0 आफताब हुसैन एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।

6 आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदकगण द्वारा गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकगण द्वारा इस अग्रिम जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक दीपक चौहान, प्रकाश चौहान एवं मो0 सादिक का एक–एक आपराधिक इतिहास है। आवेदक मो0 सद्दाम हुसैन का कोई भी आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरूद्ध बिल्कुल झूठा एवं मनगढंत आरोप लगाया गया है। आवेदकगण प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है तथा इनका नाम सह अभियुक्त मुबारक के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। आवेदक के पास से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री पुलिस द्वारा बरामद नहीं किया गया है। इस मामला में अभियुक्त का

webjudiciarykatihar

टी0आई0पी0 नहीं कराया गया है। आवेदक का लेलहा चौक पर दवा एवं बालू गिट्टी की दूकान है जिससे उस क्षेत्र के लोगों से इसकी वार्तालाप होते रहती है। यह मामला घटना के काफी बाद विलम्ब से दाखिल किया गया है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है और उसके जमानतोपरान्त फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक स्थानीय और सक्षम जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि पर देने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

7 विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है, जिसके लिए वह अग्रिम जमानत पाने के अधिकारी नहीं है।

8 उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचक अफान अली के टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध रौतारा थाना कांड संख्या– 34/2026 दिनांक 07.02.2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त सह अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 96/2026 दिनांक 27.05.2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 311, 310(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत समर्पित किया गया है। आवेदकगण को इस मामले में सह अभियुक्त मोबारक के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है तथा कांड दैनिकी के कंडिका 125 से विदित है कि आवेदक दीपक कुमार तथा प्रकाश कुमार के मोबाईल का टावर लोकेशन घटनास्थल पर पाया गया है तथा घटना घटित होने के तत्काल बाद आवेदक मो0 सादिक उर्फ सहेकुल का अभियुक्त मोबारक से दस बार लगातार बातचीत किया गया है तथा सादिक का मो0 सद्दाम से भी बातचीत हुई है। पूरक कांड दैनिकी के कंडिका 15,16,17,18 में साक्षी रफीक आलम, साक्षी मो0 मंसूर साक्षी, साक्षी मो0 मसूद, साक्षी मो0 तफाजुल प्राथमिकी आवेदन का समर्थन करते हुए बयान दिया है कि लूटपाट के पहले मीटिंग किया था, जिसमें मोबारक के साथ सद्दाम, सादिक उर्फ सहेकुल, दीपक तथा प्रकाश था। मुबारक के भाई खतरूद्दीन सरपंच ने पंचायती की बात किया, परन्तु अपने भाई को भगा दिया तथा अपहरण का केस करवा दिया। .....

9

10 कांड दैनिकी के कंडिका 2, 3, 3 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है तथा कंडिका 16 में यह मामला प्रथम दृष्टया आवेदक एवं सह अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 318(4)/3(5) के अन्तर्गत सत्य प्रतीत होता हुआ पाया गया है। कांड दैनिकी में आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं पाया गया है। आवेदक पर आरोप है कि वह पाटलीपुत्रा लॉजिस्टिक प्राईवेट लि0 कं0 में किंग लिडर के पद पर सकरैली एम0डी0एच0 में नियुक्त किया गया था, जिसका मुख्य कैश लेजर में अद्यतन कराना एवं संग्रहीत राशि समय पर जमा कराना एवं लेखा–जोखा रख्ना था,परन्तु आवेदक ने अपने सहयोगी अभिशेक पासवान के साथ मिलकर कम्पनी का 67 पीसपार्सल जिसमें पांच पीस मोबाईल फोन एवं 62 पीस अन्य सामानों की चोरी कर लिया गया है, जिससे कंपनी का कुल 2,02,743/– रूपये (दो लाख दो हजार सात सौ तेतालिस रूपये) का हानि हुआ है। इसके बाद आवेदक आफिस में बिना किसी को बताये दिनांक 13.12.2025 से काम छोड़कर गायब हो गया है। आवेदक के घर जाकर इस संबंध में पूछताछ किये जाने पर वह मारपीट करने की धमकी दिया। .....

11 बयान दिया है कि सूचिका तपती चौधरी जिसे हिन्दी पढ़ना–लिखना नहीं आता है, को पैसे की जरूरत होने पर 12 डिसमील जमीन बेचना चाहती थी तो उसके भतीजा मनोज कृष्ण चौधरी को पता चलने पर वह जमीन खरीदने के लिए तैयार हो गया, परन्तु धोखा से 12 डिसमील जमीन के जगह पर मनोज

कृष्ण चौधरी ने 29 डिसमील जमीन परिवादिनी तपती चौधरी से लिखवाकर अपने पत्नी सोमा साहा के नाम से करवा लिया है। उक्त संबंध में विक्रयपत्र की छाया प्रति कांड दैनिकी के साथ शामिल किया गया है, जबकि मनोज कृष्ण चोधरी का कथन है कि उनके बीच वर्ष 2014 में बंटवारा हुआ था। बंटवारा के बाद सभी फरीक अपने—अपने हिस्सा की जमीन पर खेती—बाड़ी एवं घर बनाकर रहते हैं। तपती चौधरी ने दिनांक 05.05.2025 को अपने पति के हिस्से की 29 डिसमील जमीन मनोज कृष्ण चौधरी की पत्नी शोभा साहा को विक्रय किये जाने के बाद दिनाक 11.09.2025 को एवं 04.12.2025 को अन्य व्यक्तियों को भी केवाला कर दिया है, जिसके लिए परिवाद पत्र संख्या— 58/2026 दाखिल किया गया है, जिसकी छाया प्रति दाखिल किया गया है। इस प्रकार आवेदकगण पर आरोप है कि उन्होंने 12 डिसमील कहकर परिवादिनी/सूचिका से उसके साथ धोखा करते हुए उसकी कुल 29 डिसमील जमीन गलत ढंग से लिखा लिया है, जिसके संबंध में आवेदकगण के विरूद्ध धारा 316(2), 318(4), 338, 336(3), 336(2), 340, 341, 61(2), 329, 115(2), 351, 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है तथा मामला अभी अनुसंधान के क्रम में है।

12 उपरोक्त संपूर्ण विवेचन, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदकगण द्वारा किये गये कृत्य एवं उनके उपर लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है, तदनुसार आवेदक सोमा साहा एवं मनोज कृष्ण चौधरी द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 21.01.2026 को न्यायहित में खारिज किया जाता है।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम
कटिहार।

Date of Order	21-02-2026
Date of Reserving order	21-02-2026
Uploading date	21-02-2026
Uploaded by	Raj Roy(B.C.)

webcivilcourtkatihar